बिहार सरकार,
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय– बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के गठन के संबंध में।

राज्य में उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु मुख्यतः औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 लागू हैं। राज्य सरकार के नीतियों एवं योजनाओं के फलस्वरूप विगत वर्षो में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में सकारात्मक प्रगति देखी जा रही है तथा राज्य में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों एवं व्यवसायियों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

सुशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का गठन इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि राज्य में उद्योग एवं व्यापार का समुचित माहौल तैयार हो तथा बिहार में अधिक से अधिक निवेश हो सके। इसके लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उद्योग एवं व्यापार से संबंधित प्रोत्साहन नीतियों/अधिनियमों/नियमों की समीक्षा किया जाय ताकि राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास हो, व्यवसाय में होने वाली कठिनाइयों का समाधान हो सके तथा राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में उद्यमियों एवं व्यापारियों का योगदान बढ़ाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है।

2. बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:–

(i)– अध्यक्ष – 01(एक)
(ii)– उपाध्यक्ष – 01(एक)
(iii)– सदस्य – 08(आठ)
(iv)– सदस्य सचिव– उद्योग विभाग के निदेशक स्तर के पदाधिकारी।

परंतु उसमें कम से कम एक महिला, एक अल्पसंख्यक एवं एक अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि होंगे चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हो:

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।

3. अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की मनोनयन राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के बीच से किया जा सकेगा :–

(i)– सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उद्योग, उद्यम, व्यापार, व्यावसाय, वित्त, श्रम, विधि, ऊर्जा, पर्यावरण या किसी सम्बद्ध क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो।

(ii)– जिनके पास सार्वजनिक जीवन में उद्यमी, व्यवसायी, श्रम, वित्त, विधि, ऊर्जा, पर्यावरण या किसी सम्बद्ध क्षेत्र में कार्यानुभव रखते हों।

(iii)– जो अखिल भारतीय सेवाओं या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं या जो राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किये हुए हैं और जिन्हें उद्योग, श्रम,

व्यापार, वित्त, विधि, ऊर्जा या पर्यावरण क्षेत्र में से किसी एक क्षेत्र में नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है।

4. कार्यकाल–

(i)– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल आदेश निर्गत करने की तिथि से अगले आदेश तक या अधिकतम तीन वर्षों की अवधि का होगा।

(ii)– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे।

5. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों का दर्जाः–

(i) आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री/उपमंत्री की सुविधाएँ देय होगा।

(ii) आयोग के सदस्यों को सरकार के सचिव स्तर की सुविधाएँ देय होगा।

(iii) आयोग के सचिव, पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा राज्य सरकार (उद्योग विभाग), द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, तथा आयोग में पदस्थापित सचिव, अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त सरकार द्वारा अलग से विहित की जाएगी।

6. आयोग का कार्य एवं दायित्वः–

(i)– औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास का अध्ययन करना।

(ii)– उद्यमियों एवं व्यावसायियों से संबंधित नीतियों/नियमों/अधिनियमों की समीक्षा कर सुझाव देना।

(iii)–वर्तमान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति/उद्योग से संबंधित अन्य नीतियों तथा योजनाओं को अधिक कारगर बनाने हेतु सुझाव देना।

(iv)–बिआडा के नियमों/अधिनियमों की समीक्षा करना। नियम में संशोधन की आवश्यकता पर परामर्श देना।

(v)–उद्यमियों एवं व्यापारियों पर अधिरोपित होने वाले सभी प्रकार के कर एवं तत्संबंधी व्यवस्था से संबंधित मसलों की समीक्षा कर सुझाव देना।

(vi)– उद्यमियों के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए परामर्श/सुझाव देना।

(vii)– उद्यम एवं व्यापार में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु राज्य सरकार को परामर्श देना।

7. आयोग की शक्तियाँः–

(i) राज्य सरकार सरकार के अनुमोदन से औद्योगिक सर्वे अध्ययन एवं अन्य कार्यो के लिए सरकारी विभागों या अन्य किसी संस्था की सहायता ले सकेगा।

(ii)–आयोग अपने कार्यो के संपादन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी से आवश्यक सूचना मांगने तथा अधिकारियों को बैठक बुलाने हेतु सक्षम होगा।

8. कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि:–

(i)– राज्य आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रृटि है; या

(ii)– राज्य आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रृटि है; या

(iii)–राज्य आयोग की प्रकिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

9. वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण–

(i)– राज्य सरकार (उद्योग विभाग) आयोग का कार्य चलाने हेतु एवं उसके कार्यों के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध कराएगी।

(ii)– आयोग द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(iii)– आयोग का प्रशासी विभाग उद्योग विभाग होगा।

(iv)– आयोग के दैनिक कार्यों में होने वाले कठिनाईयों का निदान प्रशासी विभाग के द्वारा कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जाएगा।

10. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की संपन्न बैठक दिनाक 24.02.14 को मद संख्या 30 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नवीन वर्मा),
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4 तक0/विविध/सी/362/2013 294 पटना/दिनांक 26.02.14

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4 तक0/विविध/सी/362/2013-294 पटना/दिनांक 26.02.14

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 290 /पटना, दिनांक– 26.02.14

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ माननीय मुख्यमत्री बिहार के सचिव/बिहार सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद्/ निदेशक, तकनीकी विकास/उद्योग निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/सभी संयुक्त उद्योग निदेशक/उप निदेशक, उद्योग विभाग/अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।